

8

53 10/11/19

पत्रांक : 14/वि0वि0प0-10-02/2018 (खण्ड II) का०.....

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

दीपक कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

11 JAN 2019

राँची, दिनांक.....

विषय :- अन्य राज्य से विवाह के आधार पर झारखण्ड में आब्रजित महिलाओं को राज्य में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं०-8425/2013 रंजना कुमारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक-01.11.2018 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है। उक्त न्यायादेश के आलोक में "अन्य राज्य से झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आब्रजित महिलाओं को आब्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है।"

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(दीपक कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

पत्रांक:-14/वि0वि0प0-10-02/2018 (खण्ड II) का० 235 राँची, दिनांक 10/11/19

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति सहित सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

Auc Kooa

10/11/19

सरकार के अवर सचिव।

प्रसक
सेवा में

JS
EST

10/11/19

15/11/19

15-11-19